न्यायालय :–जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा।

बी0 पी0 नं0 –165/2026
उत्पन्न चौसा थाना काण्ड सं0–309/2024

1. सिट्टु यादव — उम्र लगभग 22 वर्ष — पिता– दीपनारायण यादव
साकिन–रसलपुर धुरिया, — थाना–चौसा — जिला–मधेपुरा।
–काराधीन अभियुक्त।

बनाम्

बिहार सरकार — विपक्षी

जमानत आदेश

25.02.2026

दिनांक 13.02.25 से काराधीन अभियुक्त सिट्टु यादव की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन जो चौसा थाना काण्ड संख्य–309/24 अन्तर्गत धारा–103(1) बी.एन.एस. एवं 27 आर्म्स एक्ट से संबंधित है तथा न्यायालय विद्वान अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी, उदाकिशुनगंज के न्यायालय द्वारा आवेदक का जमानत आवेदन दि0–05.01.2026 को खारिज करने के पश्चात् आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री राणा कुमार द्वारा दाखिल जमानत आवेदन को प्रचालित किया गया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है उसने ऐसा कोई घटना नही किया है बल्कि शंका के आधार पर राजनीतिक दुश्मनी के कारण पुलिस से मिलिभगत कर झूठा केस मे फंसाया है। आवेदक का पूर्व से कुल आठ आपराधिक इतिहास रहा है परंतु सभी मे आरोप–पत्र समर्पित किया जा चुका है। आवेदक के घर से घटनास्थल की दूरी करीब 5 कि.मी. की है जिसके पास कोई मोटरसाकिल भी नहीं है। आवेदक दिनांक 13.02.25 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक के विरूद्ध सूचक से झगड़ा या दुश्मनी का कोई आरोप नहीं है। आवेदक को मृतक की मृत्यु से आजतक कोई सम्बंध नहीं रहा है। आवेदक के विरूद्ध मृतक के किसी परिवार वालो ने पुलिस के समक्ष गवाही नहीं दिया है। विद्वान अधिवक्ता का अभिकथन है कि प्राथमिकी में जिस मोबाईल नंबर से धमकी दिया गया कि तुम्हारे पति का हत्या कर देने की बात अंकित किया है वह नंबर आवेदक का नहीं है और न ही आवेदक ने अपने मोबाइल से दूसरा सिम लगाकर धमकी देने की बात कही गई है। आवेदक को षडयंत्र करके झूठा केस में फंसाया गया है। आवेदक चल अचल सम्पत्ति वाला व्यक्ति है जिसके फरार होने या साक्ष्य से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः आवेदक को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

Satish Kumar 25.02.26

विद्वान अपर लोक अभियोजन पदाधिकारी द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

अभियोजन वाद संक्षेप में यह है कि दि0–02.12.2024 को सूचक के पुत्र रवि कुमार यादव अपनी पत्नी को कॉप बलिया छोड़ने गया था जहां पहुँचाने के बाद वह पुरैनी जा रहा था। संध्या करीब 5–5:30 बजे अरजपुर जमुनिया टोला के पास सूचक के पुत्र अपने चार चक्का गाड़ी BR–50F4564 चला रहा था कि पीछे से दो मोटर साईकिल पर सवार चार व्यक्ति गाड़ी रोकवाकर बातचीत करते हुए गोली मार दिया, जिससे वह काफी जख्मी हो गया। सूचना मिलने पर जख्मी को स्थानीय पुलिस एवं ग्रामीण के सहयोग से प्राथमिक स्वा0 केन्द्र चौसा ले गये वहाँ पर मृत घोषित कर दिया। सूचक के पुत्र रवि के पत्नी रेखा देवी के मोबाईल नं0–8235868189 पर मोबाईल नं0–9234545645 से समय 03:30 बजे दोपहर मे धमकी दिया गया कि आजभर अपने पति को गाड़ी चलाने दो कल से नही चला पायेगा।

–लगातार

न्यायालय :— जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय मधेपुरा।

बी0 पी0 नं0 –165/2026

उत्पन्न चौसा थाना काण्ड सं0–309/2024

लगातार
25–03–2026

उभय पक्षो को सुना। प्राथमिकी कांड दैनिकी एवं विचारण न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का अवलोकन किया। प्राथमिकी धारा– 103(1) बी0 एन0 एस0 एवं धारा 27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत दर्ज की गई है। प्राथमिकी के अनुसार सूचक के पुत्र रवि कुमार की रास्ते मे उस समय दो मोटरसाईकिल पर सवार चार व्यक्तियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वह अपनी पत्नी को मायके छोड़ने जा रहा था। यद्यपि आवेदक प्राथमिकी नामजद अभियुक्त नही है परंतु अनुसंधान के कम मे आवेदक की संलिप्तता सामने आई है।

कांड दैनिकी के पारा– 06, 07, 08, एवं 09 मे सह–अभियुक्त सुभाष यादव, रेखा देवी, सबिता देवी एवं रौशनी कुमारी का बयान है जिसमे उसने आवेदक सहित अन्य सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक के पुत्र की गोली मारकर हत्या करने की बात बताई है। कांड दैनिकी के पारा–33 मे टावर लोकेशन के आधार पर चार मोबाईल नम्बर को संदिगध पाया गया जिसका लोकेशन घटना के पूर्व व बाद घटनास्थल के आसपास पाया गया है। पारा– 41 मे सह–अभियुक्त सिट्टु द्वारा बताया गया कि उक्त चारो संदिगध मोबाईल नम्बर अभियुक्त लोगो का ही है तथा घटना के समय उक्त मोबाईल नम्बर इनलोगों के पास था। पारा–42 मे सह–अभियुक्त सिट्टु कुमार का स्वीकारोक्ति बयान है जिसमे उसने अन्य सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर घटना कारित करना स्वीकार किया है। कांड दैनिकी के पारा–03 मे जब्ती सूची अंकित है जिसके अनुसार मृतक की ब्रेजा कार के अन्दर से गोली का वार अग्रभाग एवं पॉच खोखा जब्त किया गया है। पारा– 27 मे मृतक रवि कुमार का पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मृतक की मृत्यू Fiream injury के कारण हुई है। पारा–56 मे आवेदक का सात आपराधिक इतिहास है। अन्य सह–अभियुक्तों का जमानत आवेदन पूर्व मे इस न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है। परंतु उपरोक्त तथ्यों के बावजूद सह–अभियुक्त सत्यम यादव उर्फ सत्यम कुमार को माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा क्रिम0 मिस0 नं0–79761/2025 मे पारित आदेश दिनांक 29.01.26 के माध्यम से जमानत प्रदान किया गया है। आवेदक दिनांक 13.02.25 से न्यायिक अभिरक्षा मे है तथा आवेदक का मामला भी समान श्रेणी (Similar footing) का है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं न्यायिक अभिरक्षा की अवधि को देखते हुए आवेदक अभियुक्त द्वारा मो0 10,000/रू0 के दो जमानतदारों द्वारा जमानत बंध–पत्र दाखिल करने पर आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस निर्देश के साथ दिया जाता है कि आवेदक आरोप गठन के पश्चात् बंध–पत्र दाखिल करेंगे तथा दो जमानतदारों मे से कम से कम एक करिबी रिश्तेदार होंगे।

लेखापित
Satish Kumar
25.03.26
(सतीश कुमार)
जिला एवं अपर सत्र न्या0–द्वितीय, मधेपुरा।